रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 197] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 28, 1984/वैसाख 8, 1906
No. 197] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 28, 1984/VAISAKHA 8, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(वस्त्र विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1984

का.आ. 325(अ).—केन्द्रीय सरकार, जूट विनिर्माण विकास परिषद् अधिनियम, 1983 (1983 का 27) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 मई, 1984 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा ।

[सं. 5/15/83-ईपी (टी एण्ड जे) III]

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Textiles)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 28th April, 1984

S.O. 325 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Jute Manufactures Development Council Act, 1983 (27 of 1983), the Central Government hereby appoints the 1st day of May, 1984, as the date on which the said Act shall come into force.

[No. 5|15|83-EP (T&J) III]

का. आ. 326(अ).—केन्द्रीय सरकार, जूट विनिर्माण उपकर अधिनियम, 1983 (1983 का 28) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 मई, 1984 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा ।

[सं. 5/15/83-ई पी (टी एण्ड जे) III]

जे. के. बागची, संयुक्त सचिव

S.O.326(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Jute Manufactures Cess Act, 1983 (28 of 1983), the Central Government hereby appoints the 1st day of May, 1984, as the date on which the said Act shall come into force.

[No. 5|15|83-EP (T&J) III]

J. K. BAGCHI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984